न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः— उज्ज्वल राठौड़ , I.A.S.

प्रकरण संख्या —62 / 2020 (अपील)

GCMS No.- 2020/00191

गीता देवी पत्नि श्री श्याम सुन्दर गर्ग जाति महाजन निवासी बाजारनम्बर 6 रामगंजमण्डी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

—अपीलाण्ट.

बनाम

राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील रमगंजमण्डी जिला कोटा

—रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तकरण संख्या —551 दिनांक 30.05.2001 न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी कोटा

उपस्थितः—

1. श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री बृजराज सिंह चौहान, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक— 21.09.2021

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा ग्राम गोरधनपुरा तहसील रामगंजमण्डी में उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के आदेश दिनांक 12.3.2001 अन्तर्गत भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90—बी की अनुपालना में अपीलान्ट की खातेदारी भूमि ग्राम गोरधनपुरा की खसरा नम्बर 60 की 12 बिस्वा भूमि सिवायचक दर्ज कर नामा0 सं0 551 आदेश दिनांक 30.5.2001 स्वीकृत किया गया ।

2. उक्त आदेश दिनांक 30.5.2001 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 09.11.2020 को पेश की गई है कि तहसीलदार साहब रामगंजमण्ड ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट की अनुपस्थिति में सर्वथा गैर कानूनी एवं अनाधिकृत रूप से नामान्तकरण संख्या 551 ग्राम गोरधनपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा सर्वथा गलत एवं त्रुटिपूर्ण रूप से तस्दीक फरमाने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि ग्राम गोरधनपुरा तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नम्बर 60 की 9 बीघा 18 बिस्वा भूमि अपीलान्ट ने विक्रेता गोपाल आत्मज मगनीराम जाति धाकड निवासी ग्राम गोरधनपुरा तहसील रामगंजमण्डी से दिनांक 5.12.1981 को विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि अदा कर कब्जा प्राप्त कर पंजीकृत विक्रय पत्र खरीद की है । अपीलान्ट के खाते एवं कब्जे की भूमि को अपीलान्ट

जिला कलेक्टर
कोटा

द्वारा गैर कृषि कार्य प्रयोजनार्थ काम में नहीं लिया गया है । अपीलान्ट ने उपरोक्त भूमि की सुरक्षा के लिये केवल बाउण्डरी वाल बनवायी थी तथा खाद बीज रखने के लिये केवल एक कमरा बना रखा है । उपरोक्त भूमि वर्तमान में भी अपीलान्ट के तन्हा कब्जे काश्त में है एवं कृषि प्रयोजनार्थ ही काम में व उपयोग में आ रही है । अपीलान्ट ने उपरोक्त 12 बिस्वा भूमि को भूखण्डो में विभक्त नहीं किया है तथा उपरोक्त भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा नहीं है तथा कोई अन्य निमार्ण भी नहीं हो रहा है । पटवारी हल्का की एक पक्षीय त्रुटिपूर्ण एवं मनमानी एवं मौके की स्थिति के विपरीत तैयार की गयी रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही उपरोक्त भूमि सिवायचक दर्ज करने का आदेश उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी ने दिनांक 12.3.2001 को सर्वथा गैर कानूनी रूप से अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित कर दिया है जो निरस्तनीय है । उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट ने सम्भागीय आयुक्त कोटा के न्यायालय में अपील पृथक से प्रस्तुत करदी है जो विचाराधीन है । अपीलान्ट उक्त भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करवाना चाहती है इसलिये अपीलान्ट ने जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये दिनांक 12.10.2020 को पटवारी हल्का को प्रार्थना पत्र दिया तथा जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हो गयी जिसे पढने पर उपरोक्त भूमि सिवायचक दर्ज होने की प्रथम जानकारी हुई । अपीलान्ट को मुकम्मिल जानकारी दिनांक 22.10.2020 को हुई इस पर अपीलान्ट ने मालूमात कर नामान्तकरण जेर अपील की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये 4.11.2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 6.11.2020 को प्राप्त हुई । सर्वप्रथम जानकारी की तारीख 12.10.2020 से नामा0 प्रतिलिपि प्राप्ति दिनांक 6.11.2020 तक के दिन मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामा0 सं0 551 दिनांक 30.5.2001 ग्राम गोरधनपुरा तहसील रामगंजमण्डी निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित फरमाया जावें कि वह अपीलान्ट को सुनवायी एवं जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान कर मुकम्मिल जांच पुनः नामान्तकरण पूर्ववत अपीलान्ट के पक्ष में तस्दीक करें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित । वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार साहब रामगंजमण्ड ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट की अनुपस्थिति में सर्वथा गैर कानूनी एवं अनाधिकृत रूप से नामान्तकरण संख्या 551 ग्राम गोरधनपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा सर्वथा गलत एवं त्रुटिपूर्ण रूप से तस्दीक फरमाने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि ग्राम गोरधनपुरा तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नम्बर 60 की 9 बीघा 18 बिस्वा भूमि अपीलान्ट ने विक्रेता गोपाल आत्मज मगनीराम जाति धाकड निवासी ग्राम गोरधनपुरा तहसील रामगंजमण्डी से दिनांक 5.12.1981 को विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि अदा कर कब्जा प्राप्त कर पंजीकृत विक्रय पत्र खरीद की है ।

अपीलान्ट के खाते एवं कब्जे की भूमि को अपीलान्ट द्वारा गैर कृषि कार्य प्रयोजनार्थ काम में नहीं लिया गया है । अपीलान्ट ने उपरोक्त भूमि की सुरक्षा के लिये केवल बाउण्डरी वाल बनवायी थी तथा खाद बीज रखने के लिये केवल एक कमरा बना रखा है । उपरोक्त भूमि वर्तमान में भी अपीलान्ट के तन्हा कब्जे काश्त में है एवं कृषि प्रयोजनार्थ ही काम में व उपयोग में आ रही है । अपीलान्ट ने उपरोक्त 12 बिस्वा भूमि को भूखण्डो में विभक्त नहीं किया है तथा उपरोक्त भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा नहीं है तथा कोई अन्य निमार्ण भी नहीं हो रहा है । पटवारी हल्का की एक पक्षीय त्रुटिपूर्ण एवं मनमानी एवं मौके की स्थिति के विपरीत तैयार की गयी रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही उपरोक्त भूमि सिवायचक दर्ज करने का आदेश उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी ने दिनांक 12.3.2001 को सर्वथा गैर कानूनी रूप से अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित कर दिया है जो निरस्तनीय है । उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट ने सम्भागीय आयुक्त कोटा के न्यायालय में अपील पृथक से प्रस्तुत करदी है जो विचाराधीन है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामा0 सं0 551 दिनांक 30.5.2001 ग्राम गोरधनपुरा तहसील रामगंजमण्डी निरस्त फरमाया जावें । वकील अपीलान्ट द्वारा अपील के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 1982 RRD- 332 एवं 1984 RRD- 45 पेश किये ।

5. राजपक्ष की ओर से राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा जिस नामान्तकरण की अपील प्रस्तुत की है वह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के भू– राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–बी के तहत आदेश दिनांक 12.3.2001 की अनुपालना में उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण खोला जाकर तस्दीक किया गया है । नामान्तकरण संख्या 551 दिनांक 30.5.2001 ग्राम गोरधनपुरा स्वीकृत करने में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं है । अपीलान्ट को उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के आदेश दिनांक 12.3.2001 की अपील करनी चाहिए । ऐसी स्थिति में अपील सारहीन होने से निरस्त फरमाई जावें ।

6. हमने वकील अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । यह अपील नामा0 सं0 551 दिनांक 30.05.2001 के विरूद्व दिनांक 09.11.2020 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है । उक्त नामा0 की प्रथम जानकारी दिनांक 22.10.2020 को होना बताया है । वकील अपीलान्ट द्वारा विलम्ब के लिए कोई ठोस कारण मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये है जिससे की अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जा सकें किन्तु न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए इस अपील का निस्तारण हम गुणावगुण के आधार पर करना उचित मानते है । अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए प्रार्थना पत्र लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 स्वीकार किया जाता है ।

7. अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा ग्राम गोरधनपुरा में जो नामान्तकरण संख्या 551 दिनांक 30.5.2001 स्वीकृत किया गया है वह उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के आदेश दिनांक 12.3.2001 भू–राजस्व

जिला कलेक्टर
कोटा

अधिनियम की धारा 90–बी के तहत भूमि सिवाचयक करने के आदेश होने से आदेश की पालना में खोला गया है, नामान्तकरण की प्रकिया में कोई खामी नहीं है । अपीलान्ट को चाहिए की वह उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के आदेश दिनांक 12.3.2001 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–बी की सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करें । वकील अपीलान्ट द्वारा अपील के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त अपील स्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार योग्य नहीं है ।

8. **परिणामतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय के नामान्तकरण स्वीकृत करने की प्रकिया में कोई कानूनी त्रुटि नहीं होने से नामान्तकरण सं0 551 ग्राम गोरधनपुरा में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है ।**

9. निर्णय आज दिनांक 21.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा